भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1959
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र

1959. **श्रीमती संध्या रायः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मध्य प्रदेश में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसी योजनाओं पर व्यय की जा रही निधियों की राशि का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) भिंड और दतिया जिले में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) भिंड और दतिया जिले में खोले गए शक्ति केन्द्रों की संख्या सहित खोले जाने के लिए प्रस्तावित महिला शक्ति केन्द्रों की संख्या कितनी है; और
(ड़) इनसे लाभान्वित होने वाली महिलाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) एवं (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है जिन्हें तीन व्यापक मिशन में बांटा गया है: (1) मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए; (2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए; और (3) मिशन वात्सल्य, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों तथा शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीति प्रस्तावित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। मिशन शक्ति में दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" घटक महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत शामिल हैं।

क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-** जिला स्तर पर स्थित एक संस्था जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।
ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-** महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री टेलीकॉम सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन

सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ इसके एकीकरण का काम प्रगति पर है।

ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बीबीबीपी एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।

घ. **नारी अदालत-** यह एक प्रयोगात्मक मंच है जो महिलाओं को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) के घटक शामिल हैं।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लड़की होने पर भी पीएमएमवीवाई के तहत 6,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान किया जाता है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक रूप देती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे का उपयोग करती हैं

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्लयू)-** संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक घटकों में पुनर्गठित किया गया है: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों

(14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] तथा (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान तैयार करना (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (iv) यदि आवश्यक हो तो गैप फंडिंग द्वारा अभिसरण कार्रवाई को सुदृढ़ करना।
यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि का योजनावार और वर्षवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): मिशन शक्ति की सामर्थ्य घटक के अंतर्गत दतिया और भिंड जिलों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की गई हैं जिनमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे पीएमएमवीवाई पंजीकरण अभियान, संकल्प: एचईडब्ल्यू के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष अभियान आदि पर जागरूकता शिविर/सत्र शामिल हैं।

(घ) और (ड़): सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नवंबर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को मंजूरी दी गई थी। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों से परामर्श करने के बाद योजना को दिनांक 01.04.2022 से बंद कर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"मध्य प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र" के संबंध में श्रीमती संध्या राय द्वारा दिनांक 06.12.2024 हेतु पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1959 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि का योजनावार और वर्षवार ब्यौरा:-

क्र. सं.	**योजना**	**जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)**		
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	1085.47	1011.57	1123.11
2.	मिशन वात्सल्य	30.57	46.91	60.85
3.	मिशन शक्ति			
	क. संबल	18.19	8.86	22.27
	ख. सामर्थ्य	132.95	204.25	113.88

*****